

5/1/20

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल.

क/मंडी/प्रा./8/6/ब/धामनोद/333
प्रति,

भोपाल, दि.30/7/2020

संयुक्त संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय, इन्दौर (म०प्र०)

विषय :- कृषि उपज मण्डी समिति धामनोद के मण्डी प्रांगण स्थित केन्टीन का किराया माफ करने के संबध में।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/प्रांगण/2020/2831 इन्दौर दिनांक 17.06.2020

—000—

संदर्भित पत्र द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति धामनोद के मण्डी प्रांगण में संचालित केन्टीन का लाकडाउन अवधि का किराये की राशि माफ करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

म.प्र.कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम 2009 में विहित प्रावधान के अंतर्गत मण्डी प्रांगण में आवंटित संरचनाओं के किराये की राशि माफ करने का प्रावधान नहीं है।


अतः मण्डी प्रांगण/उपमण्डी प्रांगण में आवंटित संरचनाओं की लाकडाउन अवधि के किराये की राशि नियमानुसार जमा करावे।


प्रबंध संचालक,सह-आयुक्त
म० प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल, दि.30/7/2020

क/मंडी/प्रा./8/6/ब/धामनोद /334
प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त संचालक/उप संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति,.....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रबंध संचालक,सह-आयुक्त
म० प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल